न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –137 / 2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, यूनिट बिडला व्हाईट खारिया खंगार तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर जरिये अधिकृत व्यक्ति ज्योतिप्रकाश पुत्र श्री गुप्तेश्वरनाथ जाति कायस्थ निवासी जोधपुर डिप्टी मैनेजर लीगल अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड खारिया खंगार		1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मेडता 2. पटवारी हल्का धनापा तहसील मेडता जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री भगवानाराम सारस्वत।
2. रेस्पोडेण्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय

दिनांक 15-2-18

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय तहसीलदार मेडता द्वारा मुकदमा नम्बर 51 / 2016 पटवारी हल्का धनापा बनाम अल्ट्राटेक सीमेन्ट अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.11.2017 को प्रस्तुत किया। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को प्रारम्भ से नहीं थी तथा पुनः रिपोर्ट आने के बाद कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया व न ही कोई पुनः रिपोर्ट प्राप्त हुई फिर भी आदेश पारित कर दिया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 14.11.2017 का जारी नोटिस से ही जो प्राप्त होने पर अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने दिनांक 15.11.2017 को तहसील कार्यालय में बताकर नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 16.11.2017 को प्राप्त हुई तब सम्पूर्ण जानकारी हुई तथा जानकारी होते ही तुरन्त आज दिनांक 17.11.2017 को यह अपील पेश गई है, जिसे अन्दर मयाद शुमार मानी जानी उचित व न्याय संगत होने का कथन करते हुए अपीलार्थी का उक्त आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाने क आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथनों पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का धनापा ने एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार मेडता के समक्ष इस आशय की पेश कि मौजा धनापा के खसरा नम्बर 3091 के रकबा 0.0877 हेक्टर भूमि किस्म भूमि गैर मुमकिन गोचर पर सी.ई.ओ. अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, यूनिट बिडला व्हाईट खारिया खंगार द्वारा संवत् 2072 में सीमेन्ट व पत्थर से पक्का निर्माण वाच टावर व कमरा बनाकर अवैध अतिक्रमण किया है। जिस पर अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 51/2016 दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुआ जिसने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 05.08.2016 को पटवारी हल्का को पुनः मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया। जिस पर प्रकरण लम्बे समय तक मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु विचाराधीन रहा तथा दिनांक 11.10.2017 को बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये ही व अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये मौका रिपोर्ट प्राप्त करना बताकर पटवारी हल्का द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण करना बताकर बेदखली व जुर्माना का आदेश दिनांक 11.10.2017 को पारित कर दिया। इसलिए उक्त आदेश से क्षुब्द होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव परिस्थितियों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही गलत रूप से आदेश पारित किया है जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के पश्चात् उक्त प्रकरण काफी लम्बे समय तक पटवारी हल्का की रिपोर्ट हेतु विचाराधीन रहा है। जिसमें कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई तथा बिना रिपोर्ट पेश हुए ही बिना सूचना दिये गलत रूप से आदेश पारित हुआ है जबकि अधिनस्थ न्यायालय को रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु व रिपोर्ट पर ऐतराज पेश करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था परन्तु ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर पेश नहीं हुई। रिपोर्ट दिनांक 10.11.2017 को अर्थात् निर्णय पारित होने के एक माह बाद प्राप्त हुई है जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अप्राप्त रिपोर्ट को प्राप्त करना बताकर बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये हुए गलत रूप से अतिक्रमी ठहराते हुए निर्णय पारित कर दिया जो निर्णय न्याय के सामान्य सिद्धान्तों एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर जब पुनः मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का से तलब की गई तो उस समय पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी को नोटिस देकर अपीलार्थी की उपस्थिति में सेटलमेंट के पूर्व व सेटलमेंट के पश्चात् के नक्शें के अनुसार मौके पर मुस्तकिल मुटाम से नाप करते हुए सम्पूर्ण मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी परन्तु कोई मौका रिपोर्ट इस प्रकार से नाप कर प्रस्तुत नहीं की गई तथा जो रिपोर्ट प्रस्तुत करना बताया गया है उसमें भी केवल आज दिनांक तक मौके पर अतिक्रमण करना बताया गया है परन्तु नक्शा से व सेटलमेंट पूर्व व सेटलमेंट पश्चात् के रेकर्ड से नाप कर रिपोर्ट पेश करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है इससे स्पष्ट है कि मौके पर कोई नाप व जांच नहीं की गई तथा गलत रूप से मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई है। जिसके आधार पर किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

अपीलार्थी कम्पनी के नाम से राज्य सरकार द्वारा लाईमस्टॉन खनन हेतु खनन पट्टा संख्या 1/91 जारी किया गया है जो 232.80 हैक्टर ग्राम धनापा की राजस्व सरहद

में स्वीकृत है। जिसमें से करीब 70 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 3091 की है तथा जो भूमि अतिक्रमित बताई गई है वह भूमि नये सेटलमेंट से पहले खसरा नम्बर 395 मिन रकबा 6 बीघा था। जो भूमि अपीलार्थी कम्पनी ने इण्डियन रेयन एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से नेनाराम पुत्र सुजाराम जाति जाट से जरिये पंजिकृत विक्रय विलेख के दिनांक 14.02.1997 को खरीद किया तत्पश्चात् उक्त खनन पट्टा मैसर्स ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से हस्तान्तरण होने से उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 1377 के मैसर्स ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम दर्ज हुआ। खसरा नम्बर 395 मिन का मूल खसरा नम्बर 395 था जो एक बडा भू भाग था जिसको हाल सेटलमेंट में कई भागों में विभक्त कर दिया जिसमें खसरा नम्बर 2210 व 3.091 पुराने खसरा नम्बर 395 के भाग है तथा अपीलार्थी कम्पनी द्वारा क्रय की गई 6 बीघा भूमि का खसरा नम्बर 2210 रकबा 0.97 हेक्टर किस्म बारानी द्वितीय राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया परन्तु कम्पनी द्वारा क्रय की गई 6 बीघा भूमि को नये सेटलमेंट में जहां कम्पनी का कब्जा व स्टोर बना हुआ है उस भाग को खसरा नम्बर 3091 रकबा 692.24 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन गोचर में सम्मिलित करते हुए नये राजस्व मानचित्र में तरमीम कर दिया व अपीलार्थी कम्पनी द्वारा खरीद की गई भूमि को गलत रूप से नये सेटलमेंट में गोचर दर्ज कर दिया। जो नक्शा में गलत रूप से तरमीम हुआ है इसलिए उक्त तरमीम को दुरूस्त किया जाना आवश्यक था जिसकी शुद्धिकरण हेतु अपीलार्थी कम्पनी ने सक्षम अधिकारी श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मेडता के समक्ष आवेदन पत्र भी पेश कर दिया है जो विचाराधीन है इस प्रकार से गलत रूप से हुई तरमीम के कारण अपीलार्थी की खरीदशुदा भूमि को गलत रूप से गोचर बता देने के कारण उक्त प्रकरण गलत रूप से दर्ज किया गया है इसके लिए तहसीलदार मेडता को सेटलमेंट से पूर्व व सेटलमेंट पश्चात् के ट्रेस नक्शा व राजस्व रेकर्ड के अनुसार राजस्व टीम गठित कर समुचित नाप चौप सहित मौका रिपोर्ट तलब की जानी आवश्यक थी ताकि सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सके। ऐसी स्थिति में बिना रिपोर्ट तलब किये निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

विवादित भूमि अपीलार्थी की लीज सुदा स्वामित्व की भूमि है तथा किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं है तथा जांच रिपोर्ट भी अपीलार्थी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में नहीं की गई है। यदि वास्तव में नाप रिपोर्ट रेकर्ड के अनुसार सेटलमेंट पूर्व व सेटलमेंट पश्चात् ट्रेस व लीज एरिया व नक्शा अनुसार वास्तविक रूप से नाप किया जाता तो किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है साथ ही खसरा नम्बर 3074 का पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट के पीछे बने नक्शें में उल्लेख किया है तथा उसके उतरी तरफ स्टोर व पूर्वी तरफ वांच टावर होना बताया है जबकि खनन लीज का जो नक्शा है जिसमें अपीलार्थी के नाम से खनन लीज जारी हुई है उसमें खसरा नम्बर 3074 व आस पास की सम्पूर्ण भूमि लीज एरिया में आती है तथा प्रथम दृष्ट्या भी प्रस्तुत नक्शा व खनन लीज के नक्शे के अवलोकन मात्र से ही यह पूर्णतया प्रकट होता है कि विवादित भूमि खनन लीज का ही भाग है। जिस पर किसी प्रकार का गोर किये बिना व मौका रिपोर्ट नाप चौप सहित प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है। अपील न्यायालय हाजा के स्थानीय क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार की होने का कथन करते हुए वकील अपीलार्थी ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2017 को अपास्त कर सेटलमेंट पूर्व व सेटलमेंट पश्चात् के ट्रेस नक्शा व रेकर्ड से मुस्तकिग मुटाम से नाप कर सम्पूर्ण नाप रिपोर्ट मंगवाकर उस

पर सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

राजपैराकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की प्रकरण में पटवारी हल्का धनापा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम धनापा के खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.0861 हैक्टयर व 0.0016 हैक्टयर गैर मुमकिन गोचर भूमि पर सीमेन्ट व पत्थर से पक्का निर्माण वाच टावर व कमरा बनाकर अतिक्रमण किया गया। अपीलान्ट की कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 27.06.2016 को अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जबाब की प्रति पत्र दिनांक 5.8.16 के द्वारा पटवारी हल्का धनापा को प्रेषित कर जबाब व रेकर्ड के अनुसार नापकर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये गये। उक्त संबंध में पटवारी धनापा द्वारा तहसीलदार मेड़ता के समक्ष दिनांक 10.11.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर मौजा धनापा के खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.0861 व 0.0016 हैक्टयर किस्म गै.मु. गोचर पर सीमेन्ट व पत्थर से पक्का निर्माण वॉच टावर व कमरा बनाकर अपीलान्ट द्वारा अतिकमण किया हुआ होना अवगत कराया।

वकील अपीलान्ट का कथन की खसरा नम्बर 2210 व 3091 पुराने खसरा नम्बर 395 के भाग है तथा कम्पनी द्वारा कय की गई 6 बीघा भूमि का खसरा नम्बर 2210 रकबा 0.9700 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया लेकिन कम्पनी की कय की गई 6 बीघा भूमि को नए सेटलमेन्ट में जहां कम्पनी का कब्जा व स्टोर बना हुआ है उस भाग को खसरा नम्बर 3091 रकबा 692.2400 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन गोचर में गलत रूप से सम्मिलित करते हुए नये राजस्व मानचित्र में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया एवं जहां पर नये सेटलमेन्ट से पहले गोचर भूमि थी उस स्थान पर नये खसरा नम्बर 2210 रकबा 0.9700 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय गलत रूप से राजस्व मानचित्र में तरमीम कर कम्पनी के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया। उक्त रेकर्ड की अशुद्धि को शुद्धि करने बाबत प्रत्युतर कम्पनी ने उपखण्ड अधिकारी महोदय मेड़ता का न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने का कथन है। इस प्रकार वकील अपीलान्ट के कथन से स्पष्ट है कि उक्त संबंध में रेकर्ड शुद्धि का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के यहां विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में वर्तमान में पटवारी हल्का धनापा की रिपोर्ट सही है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होने का कथन करते हुऐ राजपैराकार ने अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का धनापा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम धनापा के खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.0861 हैक्टयर व 0.0016 हैक्टयर गैर मुमकिन गोचर भूमि पर सीमेन्ट व पत्थर से पक्का निर्माण वाच टावर व कमरा बनाकर अतिक्रमण किया गया। उक्त रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया। अपीलान्ट की कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 27.06.2016 को अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जबाब की प्रति पत्र दिनांक 5.8.16 के द्वारा पटवारी हल्का धनापा को प्रेषित कर जबाब व रेकर्ड के अनुसार नापकर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये गये। उक्त संबंध में पटवारी धनापा द्वारा तहसीलदार मेड़ता के समक्ष दिनांक 10.11.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर मौजा धनापा

के खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.0861 व 0.0016 हैक्टयर किस्म गै.मु. गोचर पर सीमेन्ट व पत्थर से पक्का निर्माण वॉच टावर व कमरा बनाकर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ होना अवगत कराया। इस प्रकार पटवारी हल्का धनापा की दोनों की रिपोर्टों में अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त गोचर भूमि पर अतिक्रमण होना बताया है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलान्ट द्वारा नये सेटलमेन्ट में राजस्व कर्मचारियों की भूल से या लिपिकीय भूमि से उस स्थान को खसरा नम्बर 3091 रकबा 692.2400 हैक्टयर किम्म गैर मुमकिन गोचर में गलत रूप से राजस्व मानचित्र में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने आदि के संबंध में उनके द्वारा रेकर्ड में अशुद्धि को शुद्धि करने बाबत उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा रेकर्ड शुद्धि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने मात्र के आधार पर वकील अपीलान्ट के उक्त कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है एवं न ही वकील अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि पर उसका कोई अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर